

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०-09/उपा०बीज अनु०-38/2010

/कृ० पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स दफतरी एग्री प्रा० लि०,
द्वारा-नारायण इन्टरप्राइजेज, चौथा तल्ला,
रूम नं०-401-4, शशि कम्पलेक्स,
एकजीविशन रोड, पटना-01

विषय : अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। आवेदन के आलोक में आपके प्रतिष्ठान के कार्यालय एवं गोदाम स्थल का स्थल जाँच कराया गया। जिसमें स्थल जाँच पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा कागजात एवं स्थल की जानकारी नहीं दी गई।

अतः आपके राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत की जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :- 5326

/कृ०, पटना, दिनांक 14-12-2016

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यापार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।